न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 69 / 2015 (RCMS No. 2015/00152)

प्रार्थी

1. भजनाराम पुत्र नानुराम जाति बावरी निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भगताराम पुत्र दुलाराम जाति बलाई निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी
2. लालाराम पुत्र रामकुमार जाति बलाई निवासी कुचामनसिटी
3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी
4. उप पंजीयक कुचामनसिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 27.2.2020

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिनाय पर आधारित अदालत हाजा में जैरतजबीज है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की सम्भावना है, ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 78 / 15 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 287 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 / 294 रकबा 0.24 हैक्टर कायम हुए है, जिस पर प्रार्थी के पिता नानूराम पुत्र मोतीराम जाति बावरी के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी जिस पर प्रार्थी के पिता काबिज काश्तकार रहते आये है, गत खसरा नम्बर 78 / 15 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा वक्त जागीर से प्रार्थी के पिता नानूराम उर्फ नेनूराम काबिज खातेदार कृषक सम्वत 2042 तक खतौनी में दर्ज निरन्तर चले आ रहे थे, नानूराम का स्वर्गवास काफी वर्षो पूर्व हो जाने के बाद प्रार्थी एकमात्र बतौर पुत्र उपर्युक्त भूमि का बहैसियत उत्तराधिकारी स्वतः काबिज खातेदार रहा है अर्थात प्रार्थी के हक हिस्सा की उपर्युक्त भूमि में 8 बीघा 3 बिस्वा जायज अधिकारो की रही है, प्रार्थी ने गत वर्ष अपनी भूमि की वांछित तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारी को कहा तो उन्होने खाता दिखाकर बताया कि पुराने [illegible] की जगह उपरोक्त नये खसरा बन गये है जिनके खाते में प्रार्थी [illegible] ही दर्ज नही होना बताया ता वाद प्रार्थी ने आवश्यक नकलात [illegible] प्राप्त की तो जानकारी हुई कि सम्वत 2042 गत खसरा नम्बर 78 / 15 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि को पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थी के पिता के नाम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जगह भगताराम पुत्र दुलाराम कौम बलाई का नाम अभिलिखत कर दिया, प्रार्थी या प्रार्थी के पिता द्वारा कोई हस्तानान्तरण पत्र भगताराम के हक में कभी भी निष्पादित नही किया, जमाबन्दी गत खसरा नम्बर 78/15 के सम्वत 2046 से 2065 की मिसल बन्दोबस्त की नकल मे भगताराम का नाम अंकित हो गया, बिना किसी सक्षम अधिकारी व बिना किसी वैध दस्तावेज के अथवा आदेश के तत्कालीन पटवारी हल्का ने मनमर्जी से प्रार्थी उसके पिता की जगह इस अजनबी व्यक्ति का नाम अंकित किया है जो सरासर अवैध व शून्य है भगताराम नायक व्यक्ति का गत खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा के किसी भी भाग पर कोई भौतिक कब्जा व हक नही रहा है यह फर्जी मनमाना इन्द्राज की पुनरावृति आगामी जमाबन्दियो में की जाती रही है प्रार्थी के पिता या प्रार्थी द्वारा भगताराम नाम व्यक्ति के हक में कोई हस्तानान्तरण, लेखपत्र कभी निष्पादित नही किया है, सम्वत 2045 के बाद में नावां तहसील मे नवीन भू–प्रबन्धक की कार्यवाही सम्पन्न हुई, इस कार्यवाही के पूर्व अर्थात सम्वत 2042 तक उपर्युक्त गत खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थी के पिता का कब्जा रहा था, फिर भी भू–प्रबन्धक अधिकारियों ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उपर्युक्त भूमि नवीन खसरा नम्बर कायम कर प्रार्थी के पिता का नाम व प्रार्थी का नाम बिना वैध दस्तावेज के हटाकर भगताराम का नाम अंकन कर दिया व बिना अधिकार क्षेत्र के खातेदारी दर्ज करने का इन्द्राज Null & Void (शून्य व अवैध है) इतना ही नही भू–प्रबन्धक अधिकारियों ने अवैध रूप से नवीन बैसिक जमाबन्दी सम्वत 2042 के व 2046–2065 कायम की उसमे प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता के नाम की सर्म्पूण भूमि के खाते से हटा दिया और प्रार्थी के पिता के नाम व प्रार्थी के नाम की खातेदारी ही समाप्त कर दी जो खसरा नम्बर बिना किसी वैध दस्तावेज के बिना सक्षम न्यायालय केक आदेश के किया गया इन्द्राज है जो स्वतः शून्य व अवैध है तथा उक्त अवैध व शून्य इन्द्राज खातेदारी दर्ज करने के लिए इन्द्राज से प्रार्थी के जायज अधिकारो पर निष्प्रभावी व शून्य है। उपर्युक्त नवीन खसरा नम्बर की भूमि के खाते में अप्रार्थीगण तमाम का नाम अभिलिखत किया व नगरपालिका कुचामनसिटी में 90 बी दर्ज किया है जो प्रार्थी के जायज अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है,रेकर्ड की उपर्युक्त जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणो का पता किया तो कोई जानकारी प्राप्त नही हुई प्रार्थी एक वृद्व व असहाय व्यक्ति है अगर प्रार्थी के बेदखल करने व गलत खाते के [illegible] करने में अप्रार्थीगण सफल हो जाने पर प्रार्थी के जायज हिता पर बेजा [illegible] होगा जबकि प्रार्थी अपनी उपरोक्त पैतृक भूमि के जायज अधिकारों की घोषणा [illegible] हकदार है इसलिए वाद लेना आवश्यक हुआ है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, अगर अप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थी के उनके पैतृक उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हकूक व कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल या जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कब्जा व निर्माण कार्य, चार दिवारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 नही करे तथा राजस्व रेकार्ड में परितर्वन नही करने हेतु अन्य किसी को बेचान नही करने हेतु पाबंद किया जावे तो अप्रार्थीगणो को कोई क्षति नही होगी अगर ऐसी आज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व नही दी जाती है तो अप्रार्थीगण 1 ता 2 प्रार्थी को उनके हक हकूक से महरूम रखने में दखल डालने व जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य में सफल हो गये तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को होगी इसलिए प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 287 रकबा 1.11 हैक्टर व 336/294 रकबा 0.24 हैक्टर में से प्रार्थी में से प्रार्थी के हक–हिस्सा के कब्जा काश्त में अप्रार्थी सं. 1 ता 2 किसी प्रकार का दखल नही डालें, किसी प्रकार का जबरन कब्जा व कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे,मौके की यथास्थिति बनाये रखें न ही बेचान करे, मौके का स्वरूप नही बदलें, प्लॉट भू–खण्ड नही काटें व मिट्टी भराई नही करें व अप्रार्थी सं. 4 अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पंजीयन नही करे व अप्रार्थी सं. 5 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें ताकि गरीब प्रार्थी के हितों की रक्षा हो सके।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत नही कर हिदायत पैरवी नही किये जाने का कथन किया जिससे अप्रार्थी सं. दो के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2012–2015, 2016–2019, 2020–2023, 2028–2031, 2035–2038, 2039–2042, 2060–2063, 2064–2067 की छाया प्रति, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, नामा. सं. 16 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया, नकल खतौनी सम्वत 2012–2015 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 76/15 रकबा 20 बीघा खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में नेनु पुत्र मोती कौम बावरी बांसड़ा खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2016–2019 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 76/15 रकबा 20 बीघा खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में नेनु पुत्र मोती कौम बावरी बांसड़ा खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2020–2023 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 76/15 रकबा 20 बीघा खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में नेनु पुत्र मोती कौम बावरी बांसड़ा (कुचामन) खातेदार दर्ज है, 2028–2021 ग्राम पनवाड़ी के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 76/15 रकबा 20 बीघा खसरा में भंवरलाल पुत्र मोहनराम कौम बावरी सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2035–2038 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में नानु पुत्र मोती कौम बावरी सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, 2039–2042 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 78/15 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में नानु पुत्र मोती कौम बावरी सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, 2060–2063 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 287 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 336/294 रकबा 0.24 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर में भगताराम पुत्र दुलाराम कौम (बलाई) मेघवंशी सा. पांचवा खातेदार दर्ज है, 2064–2067 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 287 रकबा 0.9010 हैक्टर, खसरा नम्बर 336/294 रकबा 0.24 हैक्टर कुल रकबा 1.1410 हैक्टर में लालाराम पुत्र रामकुंवार जाति बलाई सा. हाल कुचामनसिटी खातेदार, नामा. सं. 303 दि. 29.8.2008 आदेश 90 बी के द्वारा खसरा नम्बर 287 मे से 0.2411 हैक्टर भूमि खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर धारा 90 बी के तहत खसरा नम्बर 413/287 रकबा 0.2411 हैक्टर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज की गई, नामा. सं. 326 दिनॉक 15.02.2009 आदेश 90 बी के द्वारा लालाराम पुत्र रामकुवार बलाई की खसरा नम्बर 336/294 रकबा 0.24 हैक्टर खसरा नम्बर 287 रकबा 0.6599 हैक्टर कुल रकबा 0.8999 हैक्टर 90 बी के तहत राज्यहित में पुनग्रहित कर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज की गई, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065 अनुसार ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर २८७ रकबा १.११ हैक्टर खसरा नम्बर ३३६/२९४ रकबा ०.२४ हैक्टर कुल रकबा १.३५ हैक्टर भगताराम पुत्र दुलाराम कौम (बलाई) मेघंवशी सा. पांचवा खातेदार दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार उपरोक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 399/287, 336/294, 287, 413/287, अंकित है। उपलब्ध तथ्य एवं जमाबन्दी नकलो से साबित होता है कि प्रार्थी एवं उसके पिता नेनुराम उर्फ नानूराम पुत्र मोतीराम बावरी भूमि का किसी भी रूप से भजनाराम को हस्तानान्तरण नही किया गया है, भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त प्रविष्टि से प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम राजस्व रेकार्ड से बिना किसी सक्षम आदेश से हटाया गया है, अप्रार्थीगण 1 एवं 2 द्वारा उपस्थित नही होना तथा किसी प्रकार का जवाब नही दिया जाना तथा उनके अधिवक्ता द्वारा लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत नही करना एवं बार बार समय लेना तथा अन्त में हिदायत पैरवी [illegible] इस बात को साबित करता है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं उनके पिता [illegible] आई है तथा उन्ही का आजदिन उपरोक्त भूमि पर कब्जा [illegible] नगरपालिका के नाम भूमि दर्ज कराये जाने का कृत्य भी अप्रार्थीगण 1 एवं 2 ने चालाकी पूर्वक कराकर प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अंदाजी की है, अतः प्र[illegible] दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना– पत्र प्राथी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ता–फैसला पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 78/15 के नये खसरा नम्बर 399/287, 336/294, 287, 413/287, में प्रार्थी के हक–हिस्सा के कब्जा काश्त में अप्रार्थी सं. 1 ता 2 किसी प्रकार का दखल नही डालें, किसी प्रकार का जबरन कब्जा व कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 किसी भी रूप में हस्तानान्तरण, बेचान, गिरवी इत्यादि नही करे, मौके का स्वरूप नही बदलें, प्लॉट भू–खण्ड नही काटें व मिट्टी भराई नही करें व अप्रार्थी सं. 4 अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज पंजीयन नही करे व अप्रार्थी सं. 5 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

आदेश आज दिनॉक 27.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.02 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: